अनुसूची – 14 क्रम सं0 – 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम–129)

आदेश–पत्रक ता0 .... से .... तक

जिला – गढ़वा विविध वाद संख्या– 06 / 2020–21

केश का प्रकार – नये जमाबंदी सृजित के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30/5/20	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पिता–स्व0 कौशल कुमार ठाकुर ग्राम–अमला टोला चाईबासा, वर्तमान पता–कल्याणपुर, गढ़वा के द्वारा आवेदन देकर अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा श्री ललित प्रसाद सिन्हा से मौजा सहिजना के खाता संख्या–186 प्लॉट संख्या–04 रकबा–0.12 एकड़ भूमि को केवाला संख्या–1640 दिनांक–13.04.2015 से खरीदी किया गया है। विक्रेता के दादा श्री शिलवंत प्रसाद सहाय पिता–रामखेलावन लाल के नाम से M-Roll, A.R. Case No. 955/1957–58 के द्वारा भूमि प्राप्त है। जिसका मांग नही चलता है। इनके द्वारा M-Roll के अनुसार बिक्रेता का नाम मैनुअल पंजी एवं ऑनलाईन पंजी–2 में दर्ज कर खरीदी भूमि का नामांतरण कने का अनुरोध कि गया है। हल्का कर्मचारी/राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि श्री ठाकुर के आवेदन पर जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख प्रतिवेदन प्राप्ति के साथ उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 30/5/20 अंचल अधिकारी, गढ़वा	
4.8.2020	अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "ग्राम–सहिजना के खाता संख्या–186 प्लॉट संख्या–04 रकबा–0.12 एकड़ भूमि का जांच किया। इसका कुल खतियानी रकबा–03.19 एकड़ इदु खां पिता–बकस खां के नाम से सर्वे रैयती भूमि है। केवाला में यह अंकित है कि बिक्रेता ललित प्रसाद सिन्हा के पूर्वज ने केवाला संख्या–1246 दिनांक–27.07.1933 से प्राप्त किया है। विक्रेता के पूर्वज (परदादा) सिलवन्त सहाय के नाम से A.R. Case No. 955/1956–57 से (M. Roll) के द्वारा माल बंधा है। M. Roll की छाया प्रति आवेदक द्वारा सलंग्न किया गया है। मांग पंजी–2 में सिलवन्त सहाय का नाम दर्ज नहीं है। अतः संलग्न M.Roll के आधार पर संबंधित खाता संख्या–186 प्लॉट संख्या–04 रकबा–0.12 एकड़ भूमि का पंजी–2 में नाम दर्ज के पश्चात ऑनलाईन पंजी–2 में नाम दर्ज कर नामांतरण की कर्रवाई की जा सकती है। जिसकी अनुसंशा की जाती है। "अंचल अमीन के द्वारा प्रश्नगत भूमि का ट्रेस मैप समर्पित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं पाया कि मागला पुराने एम0 रॉल के आधार पर विक्रेता के पूर्वज शिलवंत सहाय पिता–राम खेलावन लाल के नाम पर मांग पंजी–2 में नया जमाबंदी सृजित कर मांग खोलने से संबंधित है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकर अनुमण्डल पदाधिकरी, गढ़वा है। अतः उपरोक्त के आलोक में राजस्व कागजातों के अवलोकन के साथ मौजा सहिजना के खाता संख्या–186 प्लॉट संख्या–04 रकबा–0.12 एकड़ भूमि का मांग/जमाबंदी खोलने का आदेश हेतु अभिलेख राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन, अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन, अंचल अमीन का ट्रेस मैप एवं आवेदक के द्वारा समर्पित केवाला, एम0 रॉल की प्रति के साथ अभिलेख भूमि सुधार, उपसमाहर्त्ता, गढ़वा को भेजें। (हस्ताक्षर) 4/8/2020 अंचल अधिकारी, गढ़वा	

आदेश का क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08.08.2020	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचलाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक– 612 दिनांक– 05.08.2020 से विविध वाद संख्या– 06/2020–21 श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पिता स्व0 कौशल ठाकुर ग्राम सहिजना के समर्पित आवेदन के आलोक में अभिलेख तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। अंचलाधिकारी, गढ़वा के द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख में अंकित है कि ग्राम सहिजना के खाता संख्या– 186, प्लॉट संख्या– 04 का कुल रकबा– 03.19 एकड़ की भूमि इदु खां पिता बकस खां के नाम से सर्वे रैयती भूमि है। ललित प्रसाद सिन्हा के पूर्वज ने केवाला संख्या– 1246 दिनांक– 27.07.1933 से प्राप्त किये है। भूमि विक्रेता के पूर्वज (परदादा) सिलवन्त सहाय के नाम से A.R Case No. 955/1956-57 से M.Roll की छाया प्रति आवेदक के द्वारा संलग्न की गई है। मांग पंजी II में सिलवन्त सहाय का नाम दर्ज नही है, जिसे M.Roll के आधार पर संबंधित खाता संख्या– 186, प्लॉट संख्या– 04, रकबा– 0.12 एकड़ भूमि का मांग पंजी II में कायम करने हेतु अनुशंसा सहित अभिलेख प्राप्त है। आवेदक मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा निबंधित केवाला से श्री ललित सिन्हा वल्द स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा से केवाला द्वारा भूमि क्रय किया गया है, जिसका मांग/जमाबंदी किया जाना है। अंचलाधिकारी, गढ़वा द्वारा विविध वाद संख्या– 06/2020–21 में अंकित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम सहिजना के खाता संख्या– 186, प्लॉट संख्या– 04, रकबा– 0.12 एकड़ भूमि का मांग/जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा को भेजें। लेखापित एवं संशोधित। ह० 8.8.2020 — उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा। ह० 8.8.2020 — उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा। अभिलेख उप स्थापित किया गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के द्वारा ग्राम सहिजना के सर्वे रैयती भूमि खाता संख्या– 186, प्लॉट संख्या– 04, रकबा– 0.12 एकड़ भूमि को मांग/जमाबंदी कायम हेतु अनुशंसा सहित अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावित भूमि आवेदक मिथिलेश कुमार ठाकुर को केवाला से प्राप्त है एवं भूमि विक्रेता के पूर्वजो को उक्त भूमि A.R Case No. 955/1956-57 से प्राप्त होने की प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में ग्राम सहिजना के खाता संख्या– 186, प्लॉट संख्या– 04, रकबा– 0.12 एकड भूमि को मांग/जमाबंदी कायम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अभिलेख अंचलाधिकारी, गढ़वा को भेजें। लेखापित एवं संशोधित। ह० 8.8.2020 — अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा। ह० 8.8.2020 — अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा।	

कार्यालय :– उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढवा

पत्रांक 282 / दिनांक 08 / 08 / 2020

प्रेषक,

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

सेवा मे,

अंचलाधिकारी,
गढ़वा।

विषय :– विविध वाद संख्या– 06 / 2020–21 श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पिता स्व0 कौशल ठाकुर ग्राम– सहिजना से संबंधित मूल अभिलेख का प्रेषण।

प्रसंग :– आपका पत्रांक– 612 / दिनांक– 05.08.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र से विविध वाद संख्या– 06 / 2020–21 श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पिता स्व0 कौशल ठाकुर ग्राम– सहिजना से संबंधित मूल अभिलेखे प्राप्त हुआ है, जिसे मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन
8.8.2020
उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

ज्ञापांक 644 दिनांक 11.08.2020

प्रतिलिपि :- राजस्व उपनिरीक्षक उ0क्षे0-IV एवं अंचल निरीक्षक-गढ़वा } सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.8.2020

आदेश के प्रति प्राप्त किया
13/8/020